[Bihar Act 20,2008]
THE BIHAR STATE MELA AUTHORITY ACT, 2008
AN
ACT

Preamble-To provide for the constitution of an Authority for the purpose of development, regulation adn management of traditional Melas in the State of Bihar.

A number or religious and cultural fairs are held every year in the State of Bihar where in along with local people thousands from within the country as well as from abroad participate. At Present, thee is no authority in the State, which can take necessary action for development, management and regulation of these traditional fairs. It has been felt by the State Government that an authority be constituted for development, regulation and management of traditional fairs of the State with participation of officials as well as non-official members. The enactment of the bill, for this purposed, is the main objective.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fiftyninth year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-1

1. Short title, extent and commencement- (1) This Act may be called the Bihar State Mela Authority Act, 2008.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official gazette, appoint in this behalf.-

2. Definition- In this Act, unless thee is something repugnant to the subject or context:-

(a) "Mela" means such Melas which are notified by State govt. for management through the Bihar State Mela authority.

(b) "Authority" means BIHAR STATE MELA AUTHORITY constituted under section-3 of the Act;

(c) "Pilgrim" includes the person, who visits a place of pilgrimage with the object, among others, of perfming such rites as are usually performed by pilgrims:

(d) "Development Commissioner" means Development Commissioner of Bihar duly appointed by the State Government:

(e) "Commissioner" means the Divisional Commissioner of a Division duly appointed by the State Government:

(f) " Land Reforms Commissioner" means Land Reforms commissioner-cum-Principal Secretary, Revenue & Land Reforms Department of the State of Bihar duly appointed by the State Government:

(g) "Secretary" means Secretary/Principal Secretary of a Department duly appointed by the State Government:

(h) "Collector" means District Magistrate-cum0Collector of the District duly appointed by the State Government:

(i) "Superintendent of Police" means Superintendent of Police of the district duly appointed by the State Government;

(j) "Sub-Divisional Officer" means an officer duly appointed by the State Government for the Sub-Division;

(k) "D.C.L.R."means a Deputy Collector appointed for land reforms works in a sub- Division;

(l) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "Regualtion" means regulation made by the Authority under this Act.

(n) "Rules" means rules made by the State Government under this Act,

CHAPTER II
CONSTITUTION OF AUTHORIY

3. Constitution of authority- (i) With effect from such date as the State Government may, by notification in the offical Gazette, appoint in this behalf, there shall be constituted, for the purpose of this Act, an Authority, to be called Bihar State Mela Authority.

(ii) The Authority at State level shall be constituted with the following members:-

(a) Minister, Revenue and Land Reforms - Chairman

(b) Two eminent and distinguished Non-Government Persons, who evince interest in development of internationally famous fairs such as Sharwani fair, Bhagalpur, Pitripaksh fair Gaya, Malamas fair Rajgir (Nalanda), Hariharkshetra fair, Sonepur (Chapra) Singheswar fair, Madhepura and Simaria fair, Begusaraj; to be nominated by State Government, for three years.

- Vice Chairman

(c) Ministers incharge of the Department of Home,Health,Road construction, Building construction,Urban Development, Public Health Engineering, Tourism, Energey, Food and Consumer Protection and Information and Public Relations.

- Special members.

(d) Development Commissioner, Secretary/Principal Secretary of the Department of Home, Health, Finance, Road Construction, Building Construction, Public Health Engineering, Tourism Information and Public Relation, Energy, Food and Consumer Protection and Urban development;

- Member

(e) Eleven eminent and distinguished Non-Government Persons, who evince interest development of fairs and come from areas of the State where other internationally known as well as famous fairs are organised, will be nominated by the State Government for three years.

-Member

(f) Land Reforms Commissioner-cum-Principal Secretary, Department of Revenue and Land Reforms.

-Member Secretary

(iii) The State Mela Authority ("Authority" in brief) may associate with itself in such manner and for such purposes as may be determined by regulations, any person whose assistance or advice it may desire in complying with any of the provisions of the Act and a person so associated shall have the right to take part in the discussion of the Authority relevant to the purpose for which he has been associated but shall not be entitled to vote.

(iv) The Authority may from time to time dliberate and take initiative on, welfare of and facility to visitors, policy, direction, implementation; ways to augument resources including revenue from a particular Mela, Outsourcing, Financial management, Security and other matters of importance and utility for Melas and advise and direct the Divisional and district level administrative officers as well as officers of all departmenrts related with administration and management of Mela.

(v) The State Govt. can notify any other Mela, extantly not under the Jurisdictions of the authority for management through the authority, on the recommendation of the authority and/or after evaluating informations received from other sources.

4. Powers and functions of the Chairman, and Vice-Chairman of the Authority- (1) The chairman of the authority shall, in addition to presiding over the meetings of the authority, exercise and discharge such power and function of the authority as may be delegated to him by the authority and such other powers and functions as may be prescribed.

(2) The Vice-Chairman of the authority shall exercise and discharge such powers and functions of the chairman as may be prescribed or as may be deldgated to him by the chairman.

5. Removal of the members from their office- The State Government may remove from the authority any member who in its opinion-

(a) refuses to Act.

(b) has become incapable to act.

(c) has so abused his office as to render his continuance in office detrimental to the public or Government interest; or

(d) is otherwise unsuitable to continue as a member .

6. Secretary of the Authority- The Authority will have a Secretary, not below the rank of Joint Secretary of the Department of Revenue and Land Reforms, duly notified by the Department of Revenue and Land Reforms, and he will manage affairs of the authority.
7. Meetings of the Committees- (1) The meeting of the State Mela Authority may beheld at least once every three months or as and when required at any time at the desire of the Chairman.

CHAPTER III
POWERS AND FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

8. Powers and Functions of the Authority- (1) The State Mela Authority may take decision as the case may be, for proper functioning, regulation and management of mela, as well as direct and decide policy for the augmentation of revenue sources, enhancement of work of any Committee by adding any new Mela if needed, arrangement of fund, by grants, Government or other sources.
9. Special Powers of the Mela Authority- The Authority shall have powers to make recomendations for bringing any Mela under its authority, considering its cultural, social and religious importance or on the basis of receipt of information in this regard from other sources.
10. Control and Guidance- During mela period, Divisional, district and other filed level officers and employees of all departments of the State Government as well as officers and personals of local bodies associated with management of mela, will act under the guidance of Authority for the purpose of management of the Mela.
11. Recommendation for taking action-The Authority will have powers to recommend action against any officer or employee of the State Government associated with the management of mela, according to the prevailing Act and Rules made by the State Government, in this regard.

CHAPTER IV
FINANCE, ACCOUNT AND AUDITS

12. Fund of Mela- The Authority may recommend to the State Government for funds to be made available for a particular mela.
13. Power to provide amenities and impose entry fee- The Authority will Provide amenities and have powers to impose an entry fee and surcharge for the mela period, with approval of the Government on mechanical transport, lodging houses, Dharamshalas, retail shopkeepers advertiesements, entertainment programmes (theater, Circus etc). and such items as the authority deems fit, to be

specified by the State Mela Authority from time to time, and may or may not be same for each Mela.

14. Account of the Mela Fund- The surcharge and entry fee will be deposited in the State Bank of India or any other Nationalized Bank, in a separate Account.

15. Manner of collection of Surcharges and entry fee- The surcharges and entry fee levied under section-13 of the Act shall be collected in such manner as may be determined by rules and regulations framed under the Act.

16. Constitution of Mela Fund- There shall be a duly constituted fund to be called mela development and management Fund (MDMF) and there shall be credited.

(i) Any grants and loans made to the Authority by the State or Central Government.

(ii) All the fees and surcharge receive by the Authority under this Act.

(iii) All sums received by the Authority from such other sources as may be decided by the State Government.

(iv) The donations received as per the guidelines of the Government of India and the State Government.

17. Use of Mela Fund-(1) The Mela development and management fund shall be utilized for meeting expenses of the Authority for discharging its functions under section-8 of this Act.

(2) The Mela development and management fund shall be used to meet expense for fulfilment of objects and purposes, authorized by the Stae Mela Authority.

18. Preparation of Budget- The Authority, shall prepare, in such form and at such time of each financial year, as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority and forward the same to the Revenue Department of the Government of Bihar.

19. Annual Report- The Authority shall prepare, in such form at such time of each financial years as may be prescibed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and submit it to the Revenue Department of the State Government.

20. Accounts and Audit of Accounts-(1) Maintenance of account of the authority shall be responsibility of the secretary to the authority.

(2) The accounts of the fund received from the State Government shall be audited by Accountant general, Bihar as well as audit section of the department of finance and the audit report will be submitted to the authority.

(3) The annual account of the authority will be audited by any recognised charted accountant who will forward the same together with the budget to the revenue and land reforms department.

CHAPTER V
MISCHELLANEOUS

21.Functions of the Authority- (1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the authority in the discharge of its functions and duties under this Act shall be bound by such directions on questions of policy as the State Government may give, in writing, to it from time to time.

(2) The decision of the State Government shall be final.

22. Delegation of Power- The authority by an order in writing, may delegate to the Chairman or Vice-Chairman of the authority or any other member, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act as it may deem necessary.

23. Authentication of orders- All orders and decisions of the Authority shall be authenticated by the signature of the Chairman or any other member authorized by the authority in this behalf.

24. Protections of action taken in Good Faith-(a) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the State Government acting under the Act and Rules framed therein for anything which is in good faith done or in tended to be done under this Act.

(b) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government or the authority under the Act or any of its officers or other employees for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intened to be done under this Act.

(c) No court shall take cognizance of an offence against any officer or other employee discharging the duties under the Act for anything, whcih is in good faith done or intended to be done under this Act, except when such complaint is made after obtaining previous approval of the State Government.

25. Supercession of the Authority - (1) If, at any time, the State Government is of the opinion-

(a) That on account of grave emergency, the authority is unable to discharged its function and duties imposed on it by or under the provisions of this Act; or

(b) That circumstances exist which render it necessary in the public interest so to do; The State Government may, by notifiction in the official Gazette, supercede the Authority.

(2) Upon publication of a notification under sub-section (1) for superceding the authority (a) all the members shall, as from the date of supercession vacate their offices as such;

(b) All the powers, functions and duties wich may, by or under the provisions of this Act, be exercised and discharged by or on behalf of the authority, shall until the authority is reconstituted under sub-section (3), be exercised and discharged by such person or persons as the State Government may direct in this behalf.

(3) On the expiration of the period of supercession specified in the notification issued under sub-section (1) the State Government may,

(a) extend the period of supercession as it may consider necessary; or

(b) reconstitute the authority within one year from supercession.

26. Power to make Rules- The State Government may by notification in the official Gazette make rules to carry out the purposes of this Act.

27. Power to make Regulations- The authority, with the previous approval of the Government, by notification in the official Gazette may make regulations consistent with this Act and the rules to carry out the purpose of this Act.

28. Administrative Department of the Authority- The Administrative Department of the Authority shall be The revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar, Patna.

29. Administrative arrangement of the authority- Revenue and Land Reforms Department will provide ministerial support to the authority, by recruitment/deputation, for day to day functioning of authority.

AIMS AND OBJECT

A number or feligious and culutral fairs are organized every year in the State of Bihar in which several thousand people participate. At present there is no authority in the State which can take necessary action for the development, regulation and management of these traditional fairs, The State Government has felt the necessity to establish an authority for the development, regulation and management of the traditional fairs in the State in which Government and non-Government members will participate. In view of this the Bihar State Mela Authority Act, 2008 has been prepared by Revenue and Land Reforms Department.

By order of the Governor of Bihar,
RAMNATH THAKUR,
Member-In charge.

(बिहार अधिनियम 20, 2008)

बिहार राज्य मेला अधिनियम, 2008

प्रस्तावनाः—बिहार राज्य में पारम्परिक मेलों के विकास, विनियमन और प्रबंधन हेतु प्राधिकार का गठन करने के लिए अधिनियम।

बिहार राज्य में अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेलों का आयोजन प्रति वर्ष होता है जिसमें स्थानीय लोगों के साथ—साथ देश एवं विदेश से भी हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। वर्त्तमान में राज्य में ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है जो उन पारम्परिक मेलों के विकास प्रबंधन एवं विनियमन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके। राज्य सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि राज्य के पारंपरिक मेलों के विकास, विनियमन एवं प्रबंधन हेतु एक प्राधिकार का गठन किया जाय, जिसमें सरकारी एवं गैर—सरकारी सदस्यों की भागीदारी हो। इस हेतु विधेयक को अधिनियमित करना ही मुख्य उद्देश्य है।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (1) यह अधिनियम बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियम करे।

2. परिभाषाएँ।—जबतक कि विषय या संदर्भ में कोई विरूद्ध बात न हो, इस अधिनियम में—

(क) ''मेला'' से अभिप्रेत ऐसे मेलों से है जिन्हें राज्य सरकार प्राधिकार के प्रबंधन में लाने के लिए अधिसूचित करें;

(ख) ''प्राधिकार'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा—3 के अधीन गठित बिहार राज्य मेला प्राधिकार;

(ग) ''तीर्थयात्री'' के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो तीर्थस्थल की यात्रा, अन्य उद्देश्य के अतिरिक्त ऐसे अनुष्ठानों का पालन करने के लिए करे जो तीर्थयात्री द्वारा सामान्यतया पालन किया जाता है;

(घ) "विकास आयुक्त" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त विकास आयुक्त;

(ङ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त विकास आयुक्त;

(च) ''भूमि सुधार आयुक्त'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त बिहार राज्य का भूमि सुधार आयुक्त—सह—प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग;

(छ) ''सचिव'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त किसी विभाग का सचिव/प्रधान सचिव;

(ज) ''समाहर्त्ता'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त जिला दंडाधिकारी–सह–समाहर्त्ता;

(झ) ''पुलिस अधीक्षक'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त जिला का पुलिस अधीक्षक;

(ञ) ''अनुमंडल पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त जिला दंडाधिकारी–सह–समाहर्त्ता;

(ट) ''डी0सी0एल0आर0'' से अभिप्रेत है अनुमंडल में भुमि सुधार कार्यों के लिए नियुक्त उप–समाहर्त्ता;

(ठ) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित;

(ड) ''विनियमावली'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार द्वारा बनाई गई विनियमावली;

(ढ़) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली।

अध्याय–2

प्राधिकार का गठन

3. प्राधिकार का गठन।–(i) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार बिहार राज्य मेला प्राधिकार नामक एक प्राधिकार का गठन, ऐसी तारीख के प्रभाव से करेगी, जो राज्य सरकार इस निमित राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम करें।

(ii) राज्य स्तरीय प्राधिकार निम्नलिखित सदस्यों का मिलाकर गठित किया जाएगाः–

(क) मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग– अध्यक्ष

(ख) श्रावणी मेला भागलपुर, पितृपक्ष मेला, गया, मलमास मेला, राजगीर (नालन्दा), हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर (छपरा), सिंहेश्वर मेला, मधेपुरा तथा सिमरिया मेला, बेगूसराय जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला क्षेत्र से दो गणमान्य गैर–सरकारी व्यक्ति, जो संबंधित मेला क्षेत्र के विकास में अभिरूचि रखते हों, तीन वर्ष के लिये राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किये जायेंगे– उपाध्यक्ष

(ग) गृह, भवन निर्माण, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर 'विकास', आवास पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा सूचना एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा सूचना एवं जन–संपर्क विभाग के प्रभारी मंत्रीगण– विशिष्ट सदस्य

(घ) बिहार के विकास आयुक्त, गृह, भवन निर्माण, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, वित्त, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास, आवास, ऊर्जा, खाद्य, एवं उपभोक्ता संरक्षण, पर्यटन तथा सूचना एवं जन–संपर्क विभाग के सचिव/प्रधान सचिव– सदस्य

(ङ) राज्य में आयोजित होने वाले अन्य अर्न्तराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त एवं प्रसिद्ध मेलों के प्रतिनिधित्व हेतु संपूर्ण राज्य से अधिकतम ग्यारह गणमान्य गेर–सरकारी व्यक्ति, जो मेलों के विकास में अभिरूचि रखते हों तीन वर्ष के लिए राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जायेंगे। सदस्य

(च) भूमि सुधार आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग– सदस्य सचिव।

(iii) राज्य मेला प्राधिकार, (संक्षेप में प्राधिकार) विनियमावली द्वारा यथा अवधारित रीति से तथा प्रयोजनाओं के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति को सहयुक्त कर सकेगा, जिसकी सहायकता और परामर्श इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में वह लेना चाहता हो तथा इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति को प्राधिकार की वैसी चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा जो उस परियोजन के सुसंगत हो जिसके लिए उसे सहयुक्त किया गया हो, लेकिन वह मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(iv) प्राधिकार, मेला विशेष से प्राप्त होने वाले राजस्व में अभिवृद्धि सहित संसाधनों, वित्तीय प्रबंधन सुरक्षा एवं मेला के महत्व तथा उपयोगिता के अन्य विषयों आदि को संबर्द्धित करने के लिए नीति, निर्देश, कार्यान्वयन, नये–नये तरीकों एवं वाह्यस्स्रोत से आगन्तुकों के कल्याण एवं सुविधा विषयक मसलों पर समय–समय पर विचार–विमर्श कर पहल कर सकेगा तथा प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं मेला प्रबंधन व्यवस्था के संबद्ध सभी विभागों के पदाधिकारियों को तद्नुसार परामर्श एवं निदेश दे सकेगा।

(v) राज्य सरकार प्राधिकार की अनुशंसा तथा/अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का आकलन करते हुए किसी अन्य मेले को जो प्राधिकार के क्षेत्राधिकार में नहीं, प्राधिकार के प्रबंधन में लाने के लिए अधिसूचित कर सकती है।

4. प्राधिकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियां का कृत्य।–(1) प्राधिकार का अध्यक्ष प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त प्राधिकार की ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग एवं निर्वहन करेंगे जो उन्हें प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय और यथाविहित शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करेगा।

(2) प्राधिकार का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग एवं निर्वहन करेंगे जो उनको विहित किये जाय।

5. सदस्यों को पद से हटाया जाना।–राज्य सरकार वैसे किसी सदस्य को प्राधिकार से हटा सकेगी जो उसकी राय में–

(क) कार्य करने से इन्कार करता हो;

(ख) कार्य करने में असमर्थ हो;

(ग) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग करता हो जिससे कि लोक या सरकारी हित में उसका पद पर बना रहना हानिकारक हो; या

(घ) सदस्य के रूप में बना रहना अन्यथा अनुपयुक्त हो।

6. प्राधिकार का सचिव।–प्राधिकार का एक सचिव होगा जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का होगा तथा जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सम्यक रूप से अधिसूचित होगा और वह सदस्य सचिव से निदेश प्राप्त करते हुए प्राधिकार के कार्य–कलापों का निष्पादन करेगा। यह प्राधिकार के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

7. प्राधिकार की बैठक।–प्राधिकार की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम–से–कम एक बार तथा/अथवा आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की इच्छानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकेगी।

अध्याय–3

प्राधिकार की शक्तियां एवं कृत्य

8. प्राधिकार की शक्तियां एवं कृत्य।–(1) प्राधिकार मेला के समुचित कार्य–संचालन, विनियमन और प्रबंधन के साथ–साथ राजस्व स्रोतों को संबर्द्धित करने के लिए नीति निर्धारण करने, नये मेलों को आवश्यकतानुसार जोड़ कर प्राधिकार का कार्य क्षेत्र विस्तारित करने हेतु, अनुशंसा करने, निधि की व्यवस्था, अनुदान, सरकार अथवा स्रोतों से करने के लिए निर्णय ले सकेगा।

9. प्राधिकार की विशेष शक्ति।– प्राधिकार, किसी मेला के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुये अथवा इस संबंध में अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना पर संबंधित विशेष का प्राधिकार के अधीन सन्निहित करने की अनुशंसा राज्य सरकार को कर सकेगी।

10. नियंत्रण।–प्राधिकार, मेला अवधि के दौरान मेला की प्रबंधन व्यवस्था से संबद्ध राज्य सरकार के सभी विभागों तथा उनके प्रमंडल, जिला एवं क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारीगण एवं कर्मियों, स्थानीय निकायों के अधिकारियों एवं कर्मियों सहित को मेला प्रबंधन की व्यवस्था के निमित आवश्यक निदेश एवं मार्ग–दर्शन दे सकेगी।

11. कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा।– प्राधिकार को, यथास्थिति, मेला से संबद्ध राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध अभिभावी अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा गयी नियमावली के अनुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की शक्ति होगी।

अध्याय–4

वित्त, लेखा और अंकेक्षण

12. मेला–निधि।– किसी मेला विशेष्ज्ञ के लिए निधि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकार, राज्य सरकार को अनुशंसा कर सकेगी।

13. सुख–सुविधाओं का प्रावधान करने एवं प्रवेश शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति।– प्राधिकार सुख–सुविधाओं का उपबंध करेगा और सरकार के अनुमोदन से प्राधिकार को मेला अवधि के लिये, समय–समय

पर राज्य मेला प्राधिकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले यंत्र–चालित परिवहन, आवास–गृहों, धर्मशालाओं तथा खुदरा दुकानदारों, मनोरंजन(थियेटर, सर्कस आदि) कार्यक्रमों, विज्ञापनों एवं ऐसी मदों, जिसे प्राधिकार उचित समझें, पर प्रवेश शुल्क और अधिभार अधिरोपित करने की शक्ति होगी और जो हर मेला के लिए एक ही या भिन्न हो सकेगी।

14. **मेला निधि खाता।**–(1) वसूल किया गया अधिभार और प्रवेश शुल्क अधिमानतः भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग खाता में जमा किया जायेगा।

15. **अधिभार एवं प्रवेश शुल्क संग्रहण की रीति।**–अधिनियम की धारा–13 के अधीन उद्‌गृहित अधिभार और प्रवेश शुल्क की संग्रहण इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए नियमावली एंव विनियमावली द्वारा यथा विनिश्चित रीति से किया जायेगा।

16. **मेला निधि का गठन ।**–मेला विकास और प्रबन्धन निधि (मे0वि0प्र0नि0) के नाम से एक निधि का गठन किया जायेगा और उसमें निम्नांकित जमा किये जायेंगे :–

(i) राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकार को दिया गया कोई अनुदान और ऋण;

(ii) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार को प्राप्त शुल्क और अधिभार;

(iii) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित अन्य स्रोतों से प्राधिकार द्वारा प्राप्त सभी रकम;

(iv) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राप्त चन्दे की राशि।

17. **मेला निधि का उपयोग।**–(1) मेला निधि का उपयोग इस अधिनियम की धारा–8 के अधीन अपने कार्यो के निष्पादन में प्राधिकार के खर्चे को पूरा करने के लिये किया जायेगा।

(2) मेला निधि का उपयोग मेला प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए होनेवाले खर्च को पूरा करने के लिये किया जायेगा।

18. **बजट की तैयारी।**–प्राधिकार हर वित्तीय वर्ष से यथाविहित फारम और समय पर, अगले वित्तीय वर्ष के लिये अपना बजट तैयार करेगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाया जायेगा और उसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार को अग्रसारित करेगा।

19. **वार्षिक प्रतिवेदन।**–प्राधिकार, हर वित्तीय वर्ष में यथाविहित फारम एवं समय पर, अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्य–कलापों का पूर्ण लेखा दिया जायेगा और उसे राज्य सरकार के राजस्व विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

20. **लेखा एवं लेखा–अंकेक्षण।**–(1) प्राधिकार के लेख संधारण का दायित्व प्राधिकार के सचिव पर रहेगा।

(2) राज्य सरकार से प्राप्त निधि के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार, बिहार तथा वित्त अंकेक्षण को रहेगा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राधिकार को समर्पित किया जायेगा।

(3) प्राधिकार अपने वार्षिक लेखा का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउटेंट से करायेगा और बजट के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अग्रसारित करेगा।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

21. **प्राधिकार के कृत्य।**–(1) इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकार, इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यो एवं कृत्यों के निर्वहन करने में नीति विषयक ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जैसा कि राज्य सरकार उसे समय–समय पर लिखित रूप में दें।

(2) राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

22. **शक्तियों का प्रत्यायोजन।**–प्राधिकार, लिखित आदेश द्वारा, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्त्तो और सीमाओं के अध्यधीन, प्राधिकार के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

23. **आदेशों का अभिप्रमाणन।**– प्राधिकार के सभी आदेश एवं विनिश्चय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से सत्यापित किये जायेंगे।

24. **नेक नीयत से की गई कार्रवाई हेतु संरक्षण।**–(क) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए अधिनियम तथा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कार्यरत राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध कोई वाद और अभियोजन नहीं चलाया जायेगा या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(ख) अधिनियम के अधीन राज्य सरकार अथवा प्राधिकार या इसके किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य से हुई या होने वाली क्षति के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जायेगी।

(ग) अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने वाले किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान नहीं जायेगा, सिवाय इसके कि ऐसा परिवाद राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के वाद किया जाय।

25. **प्राधिकार का अवक्रमण।**–(1) यदि किसी समय राज्य सरकार की यह राय हो किः–

(क) किसी गंभीर आपातिक स्थिति के कारण प्राधिकार इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है; या

(ख) परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना उसके लिये आवश्यक है तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकार को अवक्रमित कर सकेगी।

(2) प्राधिकार को अवक्रमित करने के लिये उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित हो जाने पर–

(क) प्राधिकार, को अधिक्रमित किये जाने की तारीख से सभी सदस्य अपना–अपना पद खाली कर देंगे;

(ख) उप–धारा (3) के अधीन प्राधिकार का पुनर्गठन किए जाने तक, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकार द्वारा उसकी ओर से प्रयोग की जानेवाली और निष्पादित किये जानेवाली सभी

शक्तियों का एवं कृत्य और कर्त्तव्यों का, राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वज्ञारा प्रयोग किया जायेगा और निष्पादित किये जायेंगे।

(3) उप–धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण अवधि की समाप्ति पर राज्य–सरकार;

(क) अवक्रमण की अवधि उतनी बढ़ा सकेगी जितनी वह आवश्यक समझे; या

(ख) अवक्रमण किये जाने के एक वर्ष के भीतर प्राधिकार का पुनर्गठन कर सकेगी।

26. **नियमावली बनाने की शक्ति।**–राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये नियमावली बना सकेगी।

27. **विनियमावली बनाने की शक्ति।**–सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकार, सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से संगत विनियमावली बना सकेगी।

28. **प्राधिकार का प्रशासी विभाग।**–सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकार, सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से संगत विनियमावली बना सकेगी।

29. **प्राधिकार का प्रशासी व्यवस्था।**–प्राधिकार के दैनिक कार्य–कलापों के संचालन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अनुसचिवीय सहायक नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के द्वारा उपलब्ध करायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से

(योगेन्द्र प्रसाद)
सरकार के सचिव।